

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था0/10/2023/.....5351

दिनांक : 05/11/2023

आदेश

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारीगण को उनके नाम के आगे अंकित दिनांक को पूर्व में वांछित चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. एवं पदोन्नति पर संबंधित न्यायक्षेत्र, जिसका उल्लेख तालिका के कॉलम सं0 03 में किया गया है, के द्वारा तत्समय नियमों के अन्तर्गत वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश जारी किये गये थे, जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 एवं उक्त आदेश के स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के क्रम में एतत् द्वारा उक्त पूर्व स्वीकृत वेतनस्थिरीकरण को निम्नानुसार संशोधित/स्वीकृत किया जाता है:-

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	पूर्व में संबंधित न्यायक्षेत्र द्वारा स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी अथवा पदोन्नति का विवरण		अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 के अनुसार			आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक
		न्यायक्षेत्र का नाम व स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	देय दिनांक व उक्त दिनांक पर पूर्व में स्वीकृत मूलवेतन	चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी अथवा पदोन्नति की दिनांक से पूर्व प्राप्त मूल वेतन एवं पे-लेवल	विद्यमान पे-लेवल में एक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए आगामी मूल वेतन	देय ए.सी.पी/पदोन्नति पर वेतन स्थिरीकरण की दिनांक को आगामी पे-लेवल में नियत संशोधित मूल वेतन	
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	नरेन्द्र सिंह, शहस्तिदेवार/रीडर ग्रेड-आ महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 14, जयपुर महानगर-आ प्रथम नियुक्ति दिनांक 13.12.2010 लिपिक ग्रेड-आ	अधिसूचना दिनांकित 27.02.2022 की अनुपालना में पूर्व में वेतनस्थिरीकरण निम्न आदेश द्वारा किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-आ स्था/35/2021/3394 दि. 23.06.2022	13.12.2019 (09 वर्ष) 27900/- (L-08)	13.12.2019 (09 वर्ष) 27100/- (L-05)	27900/- (L-05)	13.12.2019 (09 वर्ष) 28700/- (L-08)	01.07.2020
2.	ओमप्रकाश मीणा, लिपिक ग्रेड-आ, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं0 10, जयपुर महानगर-आ (चौमू) प्रथम नियुक्ति दिनांक 10.05.2012 लिपिक ग्रेड-आ	अधिसूचना दिनांकित 27.02.2022 की अनुपालना में पूर्व में वेतनस्थिरीकरण निम्न आदेश द्वारा किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय स्था/11/2022/289 दि. 13.01.2023	10.05.2021 (09 वर्ष) 27900/- (L-08)	10.05.2021 (09 वर्ष) 27100/- (L-05)	27900/- (L-05)	10.05.2021 (09 वर्ष) 28700/- (L-08)	01.07.2021
3.	मैना देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट) क्रम सं0 02, जयपुर महानगर-आ प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.09.2013 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अधिसूचना दिनांकित 27.02.2022 की अनुपालना में पूर्व में वेतनस्थिरीकरण निम्न आदेश द्वारा किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-आ स्था/11/2022/1441 दि 20.03.2023	04.09.2022 (09 वर्ष) 23400/- (L-02)	-	-	अधिसूचना के अनुसार वेतनस्थिरीकरण में कोई बदलाव नहीं होने के कारण पूर्व में 09 वर्षीय प्रथम ए.सी.पी दिनांक 04.09.2022 को उक्त तालिका के कॉलम संख्या 04 के अनुसार किया गया वेतनस्थिरीकरण यथावत रहेगा।	-

नोट:-

01. उपरोक्त तालिका में उल्लेखित कर्मचारीगण क्रमशः 01 व 02 को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 07 में उल्लेखित दिनांक से दिनांक 31.03.2023 तक की कोई एरियर राशि नियमानुसार देय नहीं होगी एवं दिनांक 01.04.2023 से समस्त वित्तीय लाभ देय होंगे।
02. उक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारीगण क्रमशः 01 व 02 की सेवापुस्तिका में किया जावें।

-sd-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय

दिनांक : ०५/११/२०२३

क्रमांक : स्था0/10/2023/5342

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय।(संलग्न सेवापुस्तिका)
04. संबंधित कर्मचारी।
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

3
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय